न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

सुखदेव कुमार बनाम शशी देव आदि

उपस्थिति - श्री साहिब बाघला वकील प्रार्थी
श्री शेराराम ओड वकील अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151सी.पी.सी.)

प्रकरण संख्या - 274/2015 **निर्णय दिनांक - 24.10.19**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा एक अनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सुखदेव कुमार बनाम शशी देव प्रकरण संख्या 175/14 विवादित आराजी चक 1 एम.एस.डी. का मु.नं. 124/348, 137/347 के रकबा बाबत माननीय न्यायालय में प्रार्थी सुखदेव कुमार के द्वारा दायर किया गया था। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 20/05/2014 मुकर्रर थी। दिनांक 20/05/2014 के प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता के हाजिर न होने के कारण से अनवानी वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अनवानी वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किये जाने पर माननीय न्यायालय के आदेश विरूद्ध एक अपील संख्या 44/2014 प्रार्थी के द्वारा माननीय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 09/07/2015 को पारित किया गया एवं वाद पत्र को रिस्टोर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गगांनगर के आदेश दिनांक 09/07/2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपील के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वाद पत्र के रिस्टोर किये जाने के प्रार्थना पत्र पर निर्णय प्रथम न्यायालय द्वारा किये जाने के निर्देश दिये है। अनवानी वाद पत्र सुखदेव कुमार बनाम शशी देव राजस्व प्रकृति का वाद है एवं अनवानी वाद प्रस्तुत करने के समय वादी के अधिवक्ता के द्वारा वादी को कहा गया था कि अनवानी वाद पत्र राजस्व प्रकृति का है इसमें आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर व्यक्तिगत पेश होने की आवश्यकता नहीं है जब आपकी आवश्यकता होगी आपको सूचित कर बुला लूंगा जिस पर प्रार्थी सद्भावी विश्वास करते हुए पूर्व तारीखों पर भी जरिये वकील उपस्थित आता रहा एवं दिनांक 20/05/2014 को भी वादी का वकील न्यायालय हाजा में उपस्थित था किन्तु कुछ समय के लिए वादी के वकील को अन्य कार्य से दूसरी अदालत अधीक्षण अभियन्ता

लगातार.....2

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

जल संसाधन वृत्त श्री विजयनगर में अन्य प्रकरण में जाना पड़ा एवं इसी दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा वादी के अनवानी प्रकरण में आवाज लगाई जाने व इसका इल्म वादी के वकील को नहीं होने व अन्य प्रकरण में दूसरी अदालत में गये होने के कारण से उपस्थित नहीं हो सका एवं अनवानी वाद पत्र को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमाया दिया गया जिसे प्रार्थी रिस्टोर करवाना चाहता है। प्रार्थी व प्रार्थी का वकील जानबूकर गैर हाजिर नहीं रहे है। अनवानी वाद पत्र में औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है यदि उक्त अनवानी वाद पत्र को रिस्टोर नहीं किया जाता है तो वादी को नया वाद लाने में अत्यधिक 'खर्च वहन करना पडेगा एवं साथ ही समस्त औपचारिकताएं प्रारम्भ से व दोबारा करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थी का व न्यायालय का अत्यधिक समय बर्बाद होगा एवं प्रार्थी को आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पडेगा साथ ही प्रार्थी को न्याय प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होगा जबकि उक्त वाद पत्र को रिस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाने पर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए उक्त अनवानी वाद पत्र को रिस्टोर किया जाना न्यायहित में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनवानी वाद पत्र को रिस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने मूल वाद पत्र के साथ अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाने पर जानबूझकर हाजिर नहीं आने के कारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमाया गया। प्रार्थी सुखदेव कुमार ने सुशीला, सुमित्रा व सरिता के फर्जी हस्ताक्षर करके वाद पत्र सख्या 175/14 श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया गया। सुशीला, सुमित्रा व सरिता को वादीगण पक्षकार बनाया गया है। जब सुशीला, सुमित्रा व सरिता को इल्म पड़ा कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर करके वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया है और इसकी जानकारी वादीगण के अधिवक्ता को हुई तो वादीगण के अधिवक्ता ने जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हुए इसलिए वाद पत्र श्रीमानजी ने अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमाया गया। उक्त वाद पत्र में सुशीला, सुमित्रा व सरिता को मालूम पड़ा तो उन्होने अपने भाई शशि देव को बताया कि सुखदेव कुमार व सुनीता एवं राम कुमार ने मिलकर हमारे दावा में फर्जी हस्ताक्षर करके वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है हमने वाद पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं किये है फिर शशि देव प्रतिवादी ने दिनांक 04/06/2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/14 पी.एस. जैतसर अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का मुकदमा सुखदेव कुमार, सुनीता व राम कुमार के विरूद्ध दर्ज करवाया गया। जिसमें सुखदेव कुमार को प्रथम दृष्टया अभियुक्त माना गया बाकी मुलजिमानों के खिलाफ अन्वेक्षण बाकी है। सुखदेव कुमार ने उक्त मुकदमा के विरूद्ध अपनी जमानत माननीय अपर सैशन न्यायाधीश

लगातार.....3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

रायसिंहनगर में पेश की जो दिनांक 03/06/2015 को खारिज फरमाई गई फिर प्रार्थी सुखदेव कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किये जो खारिज फरमाया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी सुखदेव कुमार अभी भी फरार चल रहा है तथा अप्रार्थीगण को जानबूझकर तंग परेशान करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके विभिन्न न्यायालयों में प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 भारी आर्थिक नुकसान व भारी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वाद पत्र संख्या 175/14 वादीगण सुशीला, सुमित्रा, सुनीता, सरिता और सुखदेव कुमार द्वारा पेश किया गया था वो फर्जी हस्ताक्षर करके पेश किया गया था एवं सुमित्रा, सरिता व सुशीला उक्त वाद पत्र संख्या 175/14 में वादीगण पक्षकार थी इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया गया है, वह कानूनी रूप से गलत पेश किया गया है जो खारिज करने के काबिल है। उक्त वाद पत्र में वादी सुनीता पत्नी राम कुमार को भी पक्षकार उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं बनाया गया है। आदि कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष की बहस और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अनवानी वाद पत्र में वादीगण संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में वाद को रिस्टोर करने में एतराज व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में वाद को रिस्टोर करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 151 सी.पी.सी. अनुसार वाद व प्रार्थना पत्र संख्या 175/14 को रिस्टोर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व 151 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। वादी/प्रार्थी पुनः वाद व प्रार्थना पत्र को संशोधित करके पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.18 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: